संख्या– /xxiv(7)/2017–104(2)/15

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 17 अगस्त, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–2018 में एस0सी0एस0पी0 योजना अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, चुड़ियाला (हरिद्वार) के विज्ञान संकाय भवन निर्माण के कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–डिग्री विकास/16544/2016–17 दिनांक 06.03.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में एस0सी0एस0पी0 योजना अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, चुड़ियाला (हरिद्वार) के विज्ञान संकाय भवन निर्माण कार्यों हेतु अनुमोदित रू0 331.48 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार रू0 11.34 लाख की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। प्रथम चरण के प्रक्रियात्मक कार्य के लिये अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयबद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जायेगी।

4– निदेशक उच्च शिक्षा, कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदायी संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेंगे। यदि लिखित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदायी संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदायी संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

5– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7– उक्त निर्माण कार्य में आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्क्चर, जो भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार प्राविधानित किया गया है, के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा सुसंगत अभिलेखों में तकनीकी पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

8– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने आवश्यक होगी।

क्रमशः.....2/–

9– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

10– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

12– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

14– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

15– उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

16– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 30 के एस0सी0पी0 योजना के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–02–चुडियाला (हरिद्वार) में महाविद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–55(म0)/xxvii(3)/2017–18 दिनांक 02/08/2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0सं0 477 (1)/xxiv(7)/2017–104(2)/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3–जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4–कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल।
5–अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, देहरादून।
6–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, चुड़ियाला जनपद हरिद्वार।
7–निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
8–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
9–वित्त अनु0–3/समाज कल्याण प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
अनु सचिव।